

पत्रांक-श्रम क०सं०-77/2026-1०११

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, भागलपुर के ज्ञापांक (कॉलम 06 में वर्णित) छात्रवृत्ति हेतु पॉलटेक्निक में अध्ययनरत 01 छात्र को रू० 10,000/- (दस हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रू० 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में दावेदार कामगारों/शिल्पकारों के अध्ययनरत पुत्र/पुत्री को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके पुत्र/पुत्री का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि, कार्य की प्रकृति	पुत्र/पुत्री का नाम	अध्ययनरत छात्र/छात्रा का संस्थान / सत्र/ कक्षा	गाता एवं पिता का आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता एवं गोबाईल नंबर	पुत्र/पुत्री का बैंक एवं शाखा का नाम/खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी	छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मसौ० सीमा देवी 44 वर्ष लगभग, स्व० त्रिगुवन दारा, अनुराधित जाति, कृषक गजदूर	अनुभव कुमार	सरकारी पॉलिटैक्निक (द्वितीय वर्ष) सत्र-2024-27 राजकीय पॉलिटैक्निक, किशनगंज	माता-9950849 72426 पिता-मृत	1252 18.07.2026	ग्राम+पो०+थाना- अकबरनगर, प्रखण्ड- सुलतानगंज, जिला भागलपुर 6206475403	UCO BANK 1271321 1010852 UCBA00 01271	रू० 10,000/- (दस हजार रुपए)

कुल राशि:-रू० 10,000 /-

(दस हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 09) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 03 में अंकित पुत्र/पुत्री के बैंक खाते कॉलम 08 में किया जाएगा।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

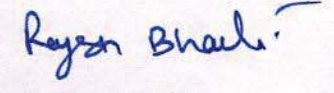
ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-77/2026-1०११

पटना, दिनांक :- १२/०८/२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू० 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना

सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, भागलपुर/उपश्रमायुक्त, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


18/08/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक